



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 08.02.2024

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण ।
- थाना सिकन्दरा क्षेत्र अन्तर्गत हत्या की जघन्य घटना को अंजाम देने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त को सिकन्दरा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार ।
- घटना में सम्मिलित अन्य 02 नफर अभियुक्तगण को भी थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.01.2024 को मृतक इनायत अली पुत्र शब्बीर निवासी सन्दलपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात की निर्मम हत्या करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 16/24 धारा 302 बनाम अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । जिसमें थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.02.2024 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त शमशेर पुत्र यूनस निवासी मोहम्मद नगर थाना सिकन्दरा को थाना क्षेत्र सिकन्दरा के गुरदई बंबा के पास घेराबन्दी करके पकड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त उपरोक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया, पुलिस द्वारा आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायरिंग की गई जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है । अभियुक्त के कब्जे में से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 312 बोर व 2 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद कीपैड मोबाईल बरामद हुआ है । मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में दो अन्य अभियुक्त सिराज पुत्र यूनस व अहमद रजा पुत्र नफीस निवासीगण मोहल्ला मोहम्मद नगर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण शमशेर व सिराज से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया कि मेरे व सिराज के सगे भाई नौशाद की लगभग दो वर्ष पहले सन्दलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बगिया में मृत्यु हो गयी थी। जिस बगिया में उनके भाई की लाश मिली थी उस बगिया की रखवाली इनायत अली किया करता था। मुझे तथा सिराज को पूरा शक था कि मेरे भाई नौशाद की हत्या इनायत अली ने ही की थी जिसका बदला लेने के लिए हम लोगों ने अपने पडोस में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति अहमद रजा पुत्र नफीस निवासी मोहम्मद नगर थाना सिकन्दरा के साथ मिलकर इनायत अली को मारने की योजना बनाई तथा दिनांक 16.01.2024 को उक्त घटना को अंजाम दिया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –**

1. शमशेर पुत्र यूनस निवासी मोहम्मद नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2. सिराज पुत्र यूनस निवासी मोहम्मद नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
3. अहमद रजा पुत्र नफीस निवासी मोहम्मद नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त शमशेर उपरोक्त -**

1. मु0अ0सं0 145/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 195/2018 धारा 379 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 62/2019 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 16/24 धारा 302 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 27/24 धारा 307 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
6. मु0अ0सं0 28/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त सिराज उपरोक्त-**

1. मु0अ0सं0 16/24 धारा 302 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अहमद रजा उपरोक्त-**

1. मु0अ0सं0 16/24 धारा 302 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 312 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस।
2. 01 अदद कीपैड मोबाईल ।

**गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-**

1. प्र0नि0 श्री दिलीप कुमार बिन्द
2. व0उ0नि0 मनजीत दयाल
3. उ0नि0 गजेन्द्र पाल सिंह चौकी प्रभारी चौकी रसधान
4. कां0 1124 अनिल कुमार
5. कां0 645 धीरज सिंह